झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक:- परि०आ०-75/2015 207 /राँची दिनांक 04.03.2021

प्रेषित,

निबंधित

श्री खिजिर हयात
पता-Lt मोहम्मद मुस्तफा, R/O चम्पुआ
पो-चम्पुआ, क्योंझर, ओडिशा
पिन-758041|

विषय : मार्ग धनबाद से जोड़ा पर आपके वाहन संख्या OD09A-9577 के पक्ष में ओडिशा परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट सं- 11G/2015 के झारखण्ड प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण के संबंध में|

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मार्ग धनबाद से जोड़ा पर आपके वाहन संख्या OD09A-9577 के पक्ष में ओडिशा परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट सं- 11G/2015 का प्रतिहस्ताक्षर दिनांक- 12/06/2015 को किया गया था|

विदित हो कि आपके द्वारा ओडिशा परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट नवीकरण के पश्चात् झारखण्ड राज्य में प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करने के बजाय SPermit Application के माध्यम से नया प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन समर्पित किया गया है| इसके अतिरिक्त कर भुगतान पंजी की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि विषयांकित वाहन का दिनांक 28/08/2016 के पश्चात् कर भुगतान अद्यतन नहीं है | आपके द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए नए परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन समर्पित किया जाना प्रथम दृष्टया सरकार को दिग्भ्रमित करते हुए राजस्व के चोरी की मंशा प्रतीत होती है, जो कि अत्यंत ही गंभीर अपराधिक मामला है|

अत: निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अपना स्पष्टीकरण सहित विषयांकित वाहन का अद्यतन कर भुगतान का प्रमाण इस कार्यालय में सात दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करें| ससमय/ संतोषजनक उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में यह कार्यालय आपके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होगा|

04/3/2021

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड